BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 17 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र राकेश यादव निवासी अचलपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2016 में थाना अनूपशहर क्षेत्र निवासी एक युवती को बूरी नियत से हाथ पकडकर खीचना व अश्लील हरकत करना विरोध करने पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना तथा वर्ष-2017 में उसी युवती की गला घोटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पर क्रमशः दिनांक 22-11-2016 को पर मुअसं- 492/16 धारा- 323,506,354 भादवि व 3(2)5ए व 3(1)द ध एससी/एसटी एक्ट एवं दिनांक 11-08-2017 को मुअसं-431/17 धारा 302 भादवि व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हैं। उपरोक्त दोनो अभियोगों में क्रमशः दिनांक 09-01-2017 व दिनांक 10-10-2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन दोनो अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 17.11.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सौरभ को आजीवन कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर